23.2.22 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभयपक्ष उप।
अपीलांट अधिवक्ता ने पत्रावली पर
बहस करते हुए निवेदन किया कि
अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट गण
को सुनवाई का समुचित अवसर
नहीं दिया गया। अपीलांटस अपीलाधीन
आराजी के रिकार्ड खातेदार है लेकिन
अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड
खातेदार के विरुद्ध एक बिना निषेधाज्ञा
जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय
द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा
स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना

राजस्व अपील अधिकारी
आहोर

पारित किया गया। मामला प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन अपीलार्थीगण के पक्ष में है। अतः अपीलांटस की अपील स्वीकार करमाई जावे।

रेस्पो. अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है दावे के विचारण में रहते अपीलाधीन आदशी का बेचान किया जाता है तो व्यर्थ ही मुकदमेबाजी बढ़ेगी तथा रेस्पो. को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटस के पक्ष में है अतः अपीलांटस की अपील अस्वीकार करमाई जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई। बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर पाया कि मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। हितों का निर्धारण मूल दावे के निस्तारण पर ही संभव है। प्रकरण के विचारण में रहते आदशी को खुर्द-बुर्द किया जाता है तो रेस्पो. को अपूरणीय क्षति कारित होना संभाव्य है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पो. के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटस की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। अपील खारिज की जाती है। धारा 225 RTA के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ

अपील अधिकारी
बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए मूल दावे का तीन माह में निस्तारण करे। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर	